राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2	सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पैंतीसवां दिवस	संख्या: 22

मंगलवार,

06 अगस्त 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सब माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी सीटों पर जाएं और जिनको निलंबित किया है, उनको बाहर भेजें। यह सदन के, आसन के आदेश की पालना करवायें, सबसे मेरी अपेक्षा है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

प्रश्न काल। श्री सुभाष गर्ग।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर में साइबर ठगी के दर्ज प्रकरण

402. डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर में विगत पांच वर्षों में साइबर ठगी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? वर्षवार थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में साइबर ठगी के पीड़ित लोगों को पैसा वापस प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कितने लोगों का? वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। गजेन्द्र सिंह जी। गजेन्द्र सिंह जी। उनका प्रश्न है। पहले इनको अपनी सीटों पर बैठाओ, तब सुनूंगा। पहले अपनी सीटों पर बैठो। हां, कराओ नाश पहले, उसके बाद बात करेंगे ...(व्यवधान)... नहीं, पहले आसन के निर्णय की पालना कराओ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) भरतपुर जिले में विगत पांच वर्षो (1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2023 तक) में साईबर ठगी के कुल 175 मुकदमे दर्ज हुए है,

जिनका वर्षवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल चलने दीजिये ...(व्यवधान)... प्रश्न काल के बाद। प्रश्न काल आज तक कभी बाधित नहीं हुआ। प्रश्न काल के बाद आपके सदस्य को बाहर भेजिये, तब बात होगी ...(व्यवधान)...

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (2) उक्त दर्ज 175 मुकदमों में 20 व्यक्तियों से 17,30,994 रुपये (सत्रह लाख तीस हजार नौ सौ चौरानवे रुपये) की रिकवरी की गई, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) साइबर ठगी को रोकने के लिए किये गये प्रयासो का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि कुल 175 केसेज दर्ज हुए?

श्री अध्यक्षः पहले उसको बाहर निकालो ...(व्यवधान)... पहले निर्णय की पालना कराओ।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): जिसमें से 118 में एफ आर लग गई ...(व्यवधान)... तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। 175 केसेज में से 118 में एफ आर लगा देना और जो आरोपी नहीं हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है। दूसरे दिन लेन-देन करके छोड़ दिया जाता है। पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप जितने भी साइबर केसेज ये फ्रॉड के हुए हैं, उनकी एटीएस से या एसओजी से जांच कराकर पूरी कार्यवाही कराने का विचार रखते हैं क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में भरतपुर जिले और डीग जिले के अन्दर जितने भी मामले दर्ज हुए थे, उसमें से अधिकांश मामलों के अन्दर एफआर दी गई। अभी जो वर्तमान में हैं, हमारी सरकार के अन्दर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा कि अभी जितने भी मामले हैं, उनमें हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा। हमने अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मैंने पूछा कि क्या आप यह विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेला हो रहा है कामां में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, पुलिस के लोग, कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं ...(व्यवधान)... एक अपराधी होता है दस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है। तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या? स्पेशल।

श्री अध्यक्षः मैं एक बार अपील कर रहा हूं कि उस सदस्य को सदन से बाहर भेजें ...(व्यवधान)...उसके बाद ...(व्यवधान)...आसन का सम्मान करो, आसन की ...(व्यवधान)...

पालन करो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है, मैंने उसकी पूरी जानकारी ली है। पुलिस यह कहती है कि हमने कोई हरेस करके, लोगों से पैसे लेकर नहीं छोड़ा है। ...(व्यवधान)... फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं, आपके साथ शेयर करुंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्यवाही के लिए और बोल दूंगा। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम।

गांवों में निर्मित सड़कों का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण

403. श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व अन्य योजनाओं के तहत निर्मित सड़कों का राजस्व रिकार्ड में विभाग के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को राजस्व रिकार्ड में विभाग के नाम दर्ज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण साधारणतया गैरमुमकिन रास्तों एवं प्रचलित रास्तों पर किया जाता है। उक्त सड़कों की भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम पर दर्ज करवाने के लिये समय-समय पर राजस्व विभाग के साथ सतत् रूप से कार्यवाही की जाती रही है। प्रशासन गांवों की ओर एवं राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के द्वारा वर्ष 2016 में चलाये गये 'रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016' इत्यादि के दौरान सड़कों का नामान्तरण विभाग के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं। इस आशय के समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष: आसन का कहना मानो पहले। उनको बाहर भेजो। ...(व्यवधान)...

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में एमएलए लैड के जो पैसे अपन देते हैं, उसमें कर्मी ...(व्यवधान)... होना चाहिए या कागज मंगवाते हैं, इस प्रकार से जो 5 नंबर का फॉर्म, यह दिक्कत आती है। बाकी, इसका जवाब देवें मंत्री महोदया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जिला परिषद में यह कागज मंगवाने की जो प्रक्रिया है, 5 नंबर की फाइल, किसी प्रकार से वह बजट पास नहीं करने का ही होता है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। मैं इसका सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर आगे विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी ...(व्यवधान)...

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में फसल बीमा राशि का भुगतान

404. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का विगत पांच वर्षों में खरीफ व रबी फसली बीमा किस-किस कम्पनी द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा प्रीमियम जमा करवाने के पश्चात् भी उक्त क्षेत्र के किसानों के फसल बीमा का भुगतान समय पर नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदडी, सिणधरी व सिवाना तहसील में वर्ष 2023 की खरीफ फसल का बीमा कवर का भुगतान फसल खराबे के अनुसार नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): (कृषि मंत्री के स्थान पर) (1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल मौसम सत्रों के लिये फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। फसल बीमा योजनांतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिये 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड रू के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया गया है।

खरीफ 2019 से रबी 2022-23 तक के लिये नेफ्ट बाउन्स एवं खाता सत्यापित ना होने के कारण राशि रूपये 1.94 करोड़ के बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिये भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है।

(3) खरीफ 2023 में सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड रूपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है। जिसमें से 7.12 करोड रूपये का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.04 करोड रूपये का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधान सभा क्षेत्र

के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला। कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। यानि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला। कब तक बीमा किसानों को देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूंगा कि खरीफ, 2016 का प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का व्यवसाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। मोकलसर क्षेत्र में बीमा क्लेम का विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। उसका जैसे ही विवरण आता है, 2 महीने के अन्दर यदि कुछ शेष है तो किसानों को देने का प्रावधान करायेंगे। खरीफ, 2023 के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। अति शीघ्र बीमा क्लेम जारी करा दिये जायेंगे।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, किसानों की फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। जिसमें किसानों को अपनी फसल का पता नहीं रहता है कि जिस फसल का बीमा किया गया है, इसके लिए सरकार किसानों को सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, योजनान्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि किसान केसीसी में उल्लिखित फसल से भिन्न फसल बोता है तो नामांकन की अंतिम दिनांक खरीफ के लिए 31 जुलाई तथा रबी के लिए 31 दिसम्बर से 2 दिवस पूर्व, खरीफ के लिए 29 जुलाई तथा रबी के लिए 29 दिसम्बर तक फसल में परिवर्तन करा सकता है।

Spp/Rtm/06.08.2024/11.10/1b

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अर्जुनलाल।

कपासन में चिकित्सालय भवनों का निर्माण

405. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के चिकित्सालयों में विगत चार वर्षों में किस-किस मद से कितनी राशि से भवन निर्माण किया गया? मय राशि के संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने स्थानों पर नवीन भवन स्वीकृत हैं व कहां-कहां स्वीकृति जारी किया जाना शेष है? सरकार शेष स्थानों की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ...(भारी व्यवधान).. जब तक आप आसन का अपमान करोगे तब तक कुछ नहीं सुनूंगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विगत चार वर्षों में अभीम योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम	स्वीकृति वर्ष	मद	स्वीकृति राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	वि.वि.
1.	भीमगढ़	2022-23	अभीम	41.00	34.19	पूर्ण
2.	निलोद	2022-23	अभीम	41.00	34.10	पूर्ण
3.	रूद	2022-23	अभीम	41.00	35.46	पूर्ण

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त है एवं दो उप जिला चिकित्सालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो उप स्वास्थ्य केन्द्रों की नवीन भवन की स्वीकृति जारी किया जाना शेष है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में शेष स्थानों की स्वीकृति जारी किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कपासन विधान सभा क्षेत्र में दो एस डी एच हैं, कपासन और मण्डफिया। 4 सी एच सी हैं, 12 पी एच सी हैं, 98 सब-सेंटर हैं और 2020-21 के बीच और 2023-24, जो हमारे माननीय विधायक ने प्रश्न पूछा कितने कार्य हुये, 8 कार्य हुये हैं। उसके अन्दर सब-सेंटर भीमगढ़, निलोद और रूद, ये 104 लाख में कम्पलीट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में टेण्डर हो चुका है, 4 सब सेंटर और एक पी एच सी, यह भी अगले वर्ष में कम्पलीट हो जायेंगे। आपका अपग्रेड रूद सब-सेंटर से पी एच सी 2025-26 में पूरा हो जायेगा। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा 2024 में आपके सब-सेंटर भीमगढ़ को पी एच सी बनाने की स्वीकृति दी, जो अगले वर्ष 2024-25 के अन्दर तैयार हो जायेगा। आपके 81 से फुलफिल हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि रूद के अन्दर पी एच सी के लिये मैंने मांग की थी कि

पी एच सी रूद अभी भी भीलवाड़ा जिले के अन्दर शो कर रहा है। जबकि वह चित्तौड़ में है। आप भी मान रहे हो कि रूद चित्तौड़ में हैं, लेकिन उसमें संशोधन पत्र जारी नहीं हुआ तो संशोधन पत्र जारी करवावें। दूसरा, रासवी का सी एच सी भवन बिलकुल जर्जर हो गया है। हमको अन्यत्र उसको शिफ्ट करना अति-आवश्यक है। इसलिये उसके लिये जमीन का आंवटन और बजट की राशि तुरंत दिलायें यह मेरे ही गांव की सी एच सी है। वहां बजट की आवश्यकता है। दूसरा, यह जो-जो काम अभी बाकी हैं, उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र मण्डफिया और उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र कपासन व सी एच सी बांसवाड़ा और उप केन्द्र भेवाड़ा, इनके लिये आप कब तक बजट जारी कर देंगे, इतना मेरा निवेदन है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो भीलवाड़ा वाला संशोधन है, वह कर दिया जायेगा और आपके माध्यम से यह आश्वासन देता हूं, आपका कोई भी सब-सेंटर, कोई भी पी एच सी, कोई भी सी एच सी, कोई भी सब डिविजन आपका हास्पिटल है, कोई भी बिल्डिंग जर्जर होगी, हालत खराब होगी, उन सबको दुरूस्त कर दिया जायेगा और कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र आपके यहां किराये के भवन में काम नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न, श्री ललित मीना।

मिड-डे मिल योजना के तहत दुग्ध पाउडर की खरीद

406. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मिड-डे मिल योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितना दुग्ध पाउडर किस डेयरी से किस दर पर खरीदा जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य संस्था से उक्त गुणवत्तायुक्त सामग्री कम दर पर उपलब्ध होने पर खरीदने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) प्रदेश में संचालित मुख्य मंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत वर्तमान में आर.सी.डी.एफ. (RCDF) के माध्यम से 421 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दुग्ध पाउडर क्रय किया जा रहा है, जिसका डेयरीवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसी अन्य रजिस्टर्ड उपक्रम से आर.सी.डी.एफ. द्वारा प्रस्तावित दरों से कम दरों पर मिल्क पाउडर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेंगी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में पिछले पांच साल में कोविड के दौरान जो

मिड डे मिल और दूध का पाउडर का वितरण किया गया, वह शाहबाद तहसील में किस-किस वाहन से, कब-कब रवाना हुआ और किस-किस छात्र को बांटा गया? शाहबाद तहसील के जो गांव हैं, उनकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मिड डे मिल में बहुत सारी गड़बड़िया हुई हैं और इन्होंने कोविड काल के दौरान बताया है कि हमें 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मिल दे दिया है। एक गांव की मैं प्राप्ति रसीद लाया हूं, इसमें नाम किसका है और दिया किसको है। बच्चों को दिया है तो अंगूठे क्यों लगाया है? इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मिल में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मिल छीना है। इसकी जांच होनी चाहिये। ई.डी.जांच कर रही है, ए सी बी जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवाकर जो दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवायेंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री चेतन पटेल कोलाना। ..(भारी व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मिड-डे-मिल में एक आदमी वहां लगा हुआ है। वह सरकारी कर्मचारी है, उसने यदि गबन किया है..(व्यवधान).. उसको निलम्बित करता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूरे शाहबाद के साथ आप किशनगंज की भी जांच करा लें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)... वहां दो इन्द्राज संस्थाओं पर नहीं हुये हैं। ...(व्यवधान)..

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

प्रश्न संख्या 407

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री चेतन पटेल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 408

श्री मोतीराम। अगला प्रश्न।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 409

श्री रामनिवास गावड़िया।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान।

डीडवाना में संचालित चिकित्सालयों में रिक्त पद

410. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में से कितने स्वयं के व कितने किराये के भवनों में संचालित हैं तथा कितनों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? क्या सरकार उक्त के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जांच सुविधाओं हेतु क्या-क्या उपकरण, मशीनें स्थापित हैं? उक्त केन्द्रों में कौन-कौनसे उपकरण व मशीनें कब से खराब हैं? सरकार द्वारा खराब उपकरणों व मशीनों को कब तक ठीक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 01 जिला चिकित्सालय, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 89 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जिनका संस्थावार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	राजपत्रित	128	74	54
2.	अराजपत्रित	2389	1305	1084

राज्य सरकार द्वारा जिला डीडवाना-कुचामन में जुलाई माह में 11 चिकित्सक, 52 लेब टेक्नीशियन व 23 सहायक रेडियोग्राफर का पदस्थापन किया गया।

शेष रिक्त पदों पर विभागीय भर्तियों और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

चिकित्सा अधिकारी के 1,220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित की गई।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,067, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 01 जिला चिकित्सालय, 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 74 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित है।

उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन है तथा 20 उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है व 17 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। संस्थानवार भवनों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में भवनों का निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मापदण्ड अनुसार वांछित स्थापित उपकरण/मशीनों की सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन की रिपोर्ट अनुसार विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपकरण क्रियाशील है तथा मशीनें खराब होने पर आर एम एस सी एल द्वारा अनुबंधित एजेन्सी द्वारा समयबद्ध रूप से पुनः मशीनों को क्रियाशील कर दिया जाता है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

Jyg/rtm/060824/11.20/1c

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्रीजी से पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार इन राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर ..।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। ..(व्यवधान)..

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्षजी, मैं बोल रहा हूं। हां, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्षजी, क्या सरकार डीडवाना विधान सभा क्षेत्र के रिक्त राजपत्रित 54 पद और अराजपत्रित 1,084 पद भरने का विचार रखती है? मेरा आपके माध्यम से यह पूछना है कि हमारी जो सीएचसी है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डुकरा, मौलासर, धनकोली, खुनखुना, तोषिणा, छोटी खाटू, शैरानीयाआबाद और जो पीएचसी है, लादडिया, बड़ी बेरी, कोलिया, आकोदा, पालोट, ठाकरियाबास, छोटी बेरी, झाड़ोद, केराप, नीमोद, छापरी खुर्द, सानियां, सिंघाणा, दौलतपुरा, भदलिया, खरेस, पावा, खाखोली, क्या इनके रिक्त पदों को भी भरने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक और सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ..(व्यवधान)..

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बार पहले मंत्री रहा हूं, इतना लम्बा प्रश्न मैंने पहली बार पढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी मैंने जैसे

आपको बताया कि जो रिक्त पद आपके हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं गजेटेड वो 74 पद हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, 128 टोटल पदों में से और नर्सिंग जो नोन-गजेटेड हैं, वो 1,305 आपके हैं, और 2,389 में से, अभी हम जो भर्तियां कर रहे हैं, लगभग 55 हजार हम गजेटेड और नोन गजेटेड की भर्तियां नवम्बर तक कर लेंगे। अभी तक हम 5 हजार कर चुके हैं, जिनमें से हमने तुरंत डीडवाना-कुचामन जिले में 11 डॉक्टर दे दिए, 52 लैब टेक्निशियन दे दिए हैं और 23 असिस्टेंट रेडियोग्राफर हम इनको अब तक दे चुके हैं, बाकी नवम्बर-दिसम्बर तक हम पूरी तरह भर देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्षजी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्षजी, दूसरा पूरक प्रश्न है। ..(व्यवधान)..

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी को पहले तो धन्यवाद दूंगा कि हमारे डीडवाना अस्पताल को 200 बेड से आपने 300 बेड का अप्रोप्रिएशन बिल में किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी मौलासर सीएचसी को आपने 50 बेड का किया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षजी, मेरा सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्रीजी ने हमारे जो 300 बेड का अस्पताल किया है, उसकी भूमि और उसकी राशि लगभग 32 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गई, उसका स्थान बदल कर अगले मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए हमारे पास 470 बीघा जमीन है, उस जमीन को देखकर वहां पर मेडिकल कॉलेज बन जाए, 300 बेड का हॉस्पिटल भी बन जाए, क्या सरकार इसका विचार रखती है? ..(व्यवधान)..

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी टीम को डीडवाना भेजूंगा जो उस जमीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसको देखकर मुझे जब वापस रिपोर्ट आएगी तो आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना की पंचायत समिति व ग्राम पंचायत कार्यालयों में रिक्त पद

411. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर

संलग्न है।

(2) जी हां।

पदों का रिक्त होना एवं भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता रहा है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पंचायत समिति मनोहरथाना व अकलेरा में काफी लम्बे समय से पद रिक्त चल रहे हैं तो मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गत पांच वर्षों से ये रिक्त पद चल रहे हैं क्या व्यवस्थार्थ प्लेसमेंट या संविदा पर रिक्त पदों को भरने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, और पंचायत समितियों की अपेक्षा इनके यहां ज्यादा पद भरे हुए हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: आसन का अपमान करना कब बंद करोगे?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह सच है कि कुछ पद खाली हैं, उनको शीघ्र ही, नई भर्ती होने वाली है, उनको शीघ्र भरेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की है कि चार लाख पदों को भरा जाएगा, इनके भी रिक्त पद बहुत जल्दी ही भरेंगे। ..(व्यवधान)..

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय मंत्रीजी, यह सतत प्रक्रिया तो गत पांच वर्षों से चल रही है और पद रिक्त हैं इसलिए वहां पर सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इनको व्यवस्थार्थ हेतु भरने का विचार रखते हो क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि आपके यहां और पंचायत समितियों की अपेक्षा ज्यादा पद भरे हुए हैं, जो कुछ पद हैं उनको भी हम शीघ्र भर्ती होने वाली है, उसमें आपके पदों को भर देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

गोपालकों को गौ संरक्षण हेतु अनुदान

412. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में गोपालकों को गौ संरक्षण एवं गोपालन हेतु अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गोपालकों को मासिक पेंशन अथवा अनुदान देने हेतु योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। प्रदेश में गोपालन कर रहे पशुपालकों

को निम्नांकित योजनाओं में परोक्ष रूप से अनुदान दिया जा रहा है:-

1. प्रदेश की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं/पशु चिकित्सा शिविरों में नि:शुल्क उपचार, शल्य चिकित्सा एवं दवा वितरण किया जा रहा है।

2. प्रदेश के पशुपालकों के बीमार पशुओं की नि:शुल्क जांच की जा रही है।

3. प्रदेश के पशुपालकों को विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिये जाने पर ब्याज पर अनुदान।

5. नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत पशुपालकों को नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है।

6. पशुओं में नि:शुल्क टीकाकरण कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 10 जुलाई 2024 को वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा अंतर्गत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर दुधारू गायों सहित भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट का बीमा तथा सेक्स सोर्टेड सीमन के उपयोग पर 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

गौशालाओं/कांजी हाउस में संधारित गौवंश को भरण पोषण हेतु वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रूपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गौवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश को उक्त समान दर पर 12 माह की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है एवं 29 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौवंश को दिये जा रहे अनुदान में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है जो आगामी अनुदान में बढ़ाकर दी जाएगी।

(2) जी नहीं। पशुपालन विभाग से गोपालकों को मासिक पेंशन दिये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में खण्ड-1 अनुसार गोपालकों को गोपालन के लिए अनुदान स्वरूप नि:शुल्क योजनायें पूर्व से ही संचालित है।

प्रदेश में आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार गोपालकों को अनुदानित योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।

MLS/RTM/06.08.2024/11:30/1d

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय महोदय से कहना चाहता हूं, क्या गोशालाओं/कांजी हाउस में गोवंश भरण-पोषण की सहायता राशि को बढ़ाने तथा सहायता राशि को बड़े गोवंश को 40 रुपये से 100 रुपये और छोटे गोवंश को 20 रुपये से 50 रुपये और 270 के स्थान पर साल के 365 दिवस करने का सरकार विचार रखती है?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में गोशालाओं/कांजी हाउस में संधारित गोवंश के भरण-पोषण हेतु बड़े गोवंश को 40 रुपये और छोटे गोवंश को 20 रुपये प्रति गोवंश की दर से 270 दिवस की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही, गोशालाओं में अन्धे एवं अपाहिज गोवंश, नन्दीशालाओं में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर पर 12 महीने की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। अभी इसे इस वर्ष बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार 2016 के गो संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2016 में लाना चाहती है? 2021 में गो संरक्षण एवं मानव आपदा से गो सैस को काम में लेने का संशोधन किया, जबकि आप गो सैस को उसी में रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वहां गोचर जमीने हैं, मेरी काफी वहां गोशालाएं हैं, उन गोशालाओं को गायों के लिए आवण्टित कराने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। उसमें सरकार अलग से मंत्रिमण्डल की बैठक करके, अलग से ऐसा कोई नियम बनाकर, वह भी गोशालाओं के लिए आरक्षित कैसे हो सकती हैं, उसको भी करवाने की कोशिश करें और सरकार 2021 में वापस 2016 को करना चाहती है कि नहीं चाहती? बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, एक बार वापस बोलें, आवाज बराबर नहीं आयी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार 2016 गो संरक्षण अधिनियम को 2021 में संशोधन को वापस 2026 में लाना चाहती है? 2021 में गो संरक्षण एवं मानव आपदा में गो सैस को काम में लेने का संशोधन किया था, जबकि आप गो सैस को उसी में रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गो संशोधन विधेयक में शराब और रजिस्ट्री के ऊपर स्टाम्प पंजीयन पर जो सैस लगता है, वह गोवंश के लिए गोशालाओं में अनुदान के रूप में और उनके लिए चल रही विकास की योजनाओं पर खर्च किये जाने का प्रावधान है। यही प्रावधान आगे भी लागू रहेगा, इसमें किसी तरह का संशोधन करने की अभी कोई वर्तमान में कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या 413

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 414

श्री विकास चौधरी। श्री विकास चौधरी। श्री विकास चौधरी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री शत्रुघन गौतम।

प्रदेश में बी.पी.एल परिवारों का सर्वे

415. श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002 के पश्चात् नहीं हुआ है? यदि हां तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2002 के बाद भी बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां तो सरकार द्वारा पात्र परिवारों को बी.पी.एल. श्रेणी में जोड़ने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों का पुनः सर्वे कराने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हां तो कब-कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) जी हां। बी.पी.एल. सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। इस सम्बन्ध में जब भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, नवीन बी.पी.एल. सर्वे करवाया जा सकेगा।

(2) जी हां। सभी पात्र परिवारों को बी.पी.एल. श्रेणी में जोड़े जाने हेतु सरकार द्वारा द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उक्तानुसार प्रथम अपील सम्बन्धित उप-खण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बी.पी.एल. सूची 2002 में पात्र परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया अनवरत् जारी है।

(3) जी नहीं। बी.पी.एल. सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। इस सम्बन्ध में जब भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, नवीन बी.पी.एल. सर्वे करवाया जा सकेगा।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने अन्तिम बार सर्वे कराने हेतु भारत सरकार को पत्र कब लिखे गये और पिछले पांच वर्षों में बी.पी.एल. का री-सर्वे कराने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने पत्र लिखे या नहीं?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल सर्वे 2002 में कराया गया था, जिसका प्रश्न राज्य के विभागीय आदेश दिनांक 2006 के द्वारा वर्ष 2000 में किया गया, उस समय बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या 17 लाख 36 हजार 200 थी, जो दिनांक 05.08.2024 को 22 लाख 47 हजार 641 है। नयी सरकार आने के

बाद में हमारा जो नये सिरे से सर्वे हुआ है, उसमें मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से विगत पांच वर्षों में द्विपक्षीय अपील प्रक्रिया द्वारा बी.पी.एल. सूची में कुल 1575 परिवारों के नाम जोड़े गये तथा कुल 1474 परिवारों के नाम पीछे वाली सरकार में हटाये गये। उसके बाद राज्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में विभागीय आदेश दिनांक 25.09.2006 के द्वारा बी.पी.एल. सूची 2002 से वंचित पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विपक्षीय अपील का प्रावधान है।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार, ऐसे लोग जो छूट गये हैं, उनका री-सर्वे कराकर भारत सरकार को पत्र लिखने की इच्छा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकार बनने के बाद में 22 लाख 47 हजार 441 नाम जोड़े।

प्रश्न संख्या 416

(माननीय सदस्य श्री मुकेश भाकर की निलम्बन अवधि के कारण प्रश्न निरस्त किया गया।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में गेस्ट फैकल्टी में नियुक्त अध्यापक

417. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने माह दिसम्बर, 2018 से माह अक्टूबर, 2023 तक प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर अध्यापक नियुक्त किये थे? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अध्यापकों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो सरकार उक्त अध्यापकों के मानदेय का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माह दिसम्बर, 2019 से माह अक्टूबर, 2023 तक गेस्ट फैकल्टी पर कितने अध्यापकों की कहां-कहां नियुक्ति की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल माह दिसम्बर, 2018 से अक्तूबर, 2023 के बीच माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस हेतु विभाग के पत्रांक : शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/गेस्ट फैकल्टी/12226/2021/79-83 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या सम्बल योजना रिक्त पद भरे जाने तक अथवा सत्रान्त तक लागू की गयी।

(2) उक्त योजनान्तर्गत गेस्ट फैकल्टी पर लगे अध्यापकों में से केवल 1 अध्यापक का भुगतान किया जाना शेष है, इसके अतिरिक्त समस्त अध्यापकों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। उक्त अध्यापक के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित संस्था प्रधान स्तर से शीघ्र करवा दिया जायेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ में माह दिसम्बर, 2018 से अक्तूबर, 2023 के बीच में माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी पर किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया गया।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों के पद रिक्त हैं, क्या आप गेस्ट फैकल्टी के आधार पर आप कोई पद भरने की इच्छा रखते हैं या नहीं?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बल योजना में एक भी नहीं लगाया गया, लेकिन सहायक अध्यापक के नाते संविदा में 3700 से ऊपर टीचर्स को लगाया गया था, जिसमें से 3668 ने ज्वॉइन किया है और ये संविदा पर थे, गेस्ट फैकल्टी अन्तर्गत नहीं थे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं, कोई नियम बनाकर उन पदों को भरने की इच्छा रखते हैं या नहीं, हां या न?

mkd/rtm/06.08.2024/11:40/1e

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने पद खाली हैं, उसी अनुपात में हम रेश्नाइजेशन कर रहे हैं और सभी विद्यालयों में हम समान अनुपात में शिक्षक भरने का यत्न करेंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में जहां छात्राओं की संख्या कम थी, पूर्ववर्ती सरकार ने वे स्कूल बन्द कर दिये थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे वहां पर लड़कों की संख्या पर्याप्त है तो वहां पर आप वापस स्कूल को खोलना चाहते हैं या नहीं? नहीं तो क्यों?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल बन्द की हैं। यदि उनमें बच्चों की संख्या बढेगी, नामांकन बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन विद्यालयों को वापस खोल दें।

प्रश्न संख्या 418

श्री अध्यक्ष: श्री दीप्ति किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अमित चाचाण।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी स्कूलों में साइंस, आर्ट सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आप सरकारी तरफ से सब्जेक्ट्स खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? हां तो कब? नहीं तो क्यों?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बजट में 100 सब्जेक्ट खोलने की अनुमति दी है, बजट पास हो गया है। हमारे पास जो प्रस्ताव आये हैं, बच्चों के हमारे जो मापदंड बने हुए हैं, उसके आधार पर हम खोलने का यत्न करेंगे। यदि प्रस्ताव ज्यादा आते हैं तो मापदंडों को कौन-कौन सा विद्यालय पूरा कर रहा है, उस हिसाब से मेरिट के आधार पर खोलेंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम मुख्य मंत्री जी द्वारा चालू होगा। आप अपनी स्कूलों किस तरह के पौधे लगवायेंगे? और कितनी स्कूल में कितनी-कितनी संख्या में पौधे लगायेंगे? आप सदन को जवाब दीजिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हरियाली तीज है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हरयाळो राजस्थान करना चाहा है। यानी, यह राजस्थान की धरती हरी-भरी होगी। इसलिए सभी स्कूलों में चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी विद्यालय हो, उनके अधिकारी, कर्मचारी, हम सब मिलकर प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के हिसाब से पांच-पांच पौधे लगायेंगे, बड़ी संख्या में राजस्थान भर में पौधे लगेंगे।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि..।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): अभी जो पौधे लगायेंगे, वे किस-किस किस्म के होंगे? क्योंकि स्कूल में बच्चे-बच्चियां पढ़ते हैं तो फलदार पौधे लगाये जायेंगे तो आने वाले समय में फल लगेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो अस्वस्थ हैं, उनको अस्पताल ले जायें। यहां के भी जो डॉक्टर हैं, मैं उनको बुला रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष, हम ऐसे पौधे लगायेंगे, जो छायादार हो।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): जल्दी बढ़ते हों, ताकि ऑक्सीजन की अधिकता वायुमंडल में हो जाये, लगातार हम देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा।

श्री अध्यक्ष: नीचे डॉक्टर को कह दिया, डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर आ रहा है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कार्बन डाइआक्साइड की अधिकता हो रही है और उसके कारण से कार्बन मॉनोआक्साइड गैस बन रही है, जो बीमारियों को बुलावा दे रही है। पहली बार हमने कोशिश की है, राजस्थान में जहां 200 पौधे

एक साथ लगेंगे, वहा एक रखवाला भी रखेंगे।

प्रश्न संख्या 419

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री कंवरलाल।

बारां व झालावाड़ जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

420. श्री कंवरलाल (अंता): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां व झालावाड में कितने आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं तथा उक्त में बच्चों की संख्या कितनी है? उक्त केन्द्रों पर पोषाहार में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है? सूची सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आंगनबाडी केन्द्रों के भवन बने हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं वित्तीय स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) बारां एवं झालावाड़ जिले में स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा उन पर पंजीकृत लाभार्थी बच्चों का विवरण निम्नानुसार है-

जिले का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या		पंजीकृत लाभार्थी बच्चों की संख्या		
	स्वीकृत	संचालित	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	3 से 6 वर्ष के बच्चे	कुल बच्चे
बारां	1630	1630	49,526	41,135	90,661
झालावाड़	1515	1513	44,785	45,031	89,816

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, दो मिनट में स्थगित करता हूं, डॉक्टर को बुलाया है। हो गया। हॉस्पिटल ले जाओ ना। मैंने भी डॉक्टर को ही बुलाया है। सदन का डॉक्टर भी आ रहा है और आप भी हॉस्पिटल ले जा सकते हो। जो साधन चाहिये, वाहन बाहर खड़ा है, आप ले जाओ। कोई भी सदस्य बीमार हैं, उसके लिए मेरी पूरी तरह, मैं उनके साथ हूं, विधान सभा का डॉक्टर आ रहा है। आप चाहे तो एसएमएस भी मेरी गाड़ी से ले जा सकते हैं, मेरी गाड़ी से ले जा सकते हैं, उनको।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): बारां जिले के कुल संचालित 1,630 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 620 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा झालावाड़ जिले के कुल संचालित 1,513 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 981 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित किये जा रहे है। बारां जिले

के शेष 1,010 एवं झालावाड़ जिले के शेष 532 आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में विद्यालयों, अन्य सरकारी भवनों एवं किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के विभागीय भवन निर्माण हेतु पंचायतीराज/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से निःशुल्क भूमि आंवटन के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे है। निःशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमशः किराये के भवनों, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार भवन निर्माण करवाया जाता है।

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही आधे घंटे लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.46 बजे 12.16 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Bhs/Rtm/06.08.24/12.10/1h

(समयः 12.16 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने-अपने स्थानों पर जायें और सदन ने जो कल निर्णय किया है, उस सदस्य को सदन से बाहर भेजने में सहयोग करें और उनसे भी अपील करूंगा कि सदन से बाहर चले जायें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर.जी.एच.एस. योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स को मिलने वाली जीवन रक्षक और विटामिन्स की दवाइयों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नगर पालिका सुल्तानपुर में वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती अनीता जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सड़कों के अधूरे कार्यों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के तकनीकी कर्मचारियों को अन्य निगमों के कर्मचारियों के समान सेवा लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले के किसानों को वर्ष 2023 की फसल खराबे की बीमा राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

8. श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नलियासर मोड़ से रूपनगढ़ वाया मरवा सड़क मार्ग को एम.डी.आर. घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान एवं उप प्रधान के पदों पर चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. कुमारी रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र, मण्डावा के किसानों को वर्ष 2018-19 का प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री विद्याधर सिंह, श्री जुबेर खान एवं कुमारी रीटा चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

Kas/rtm/06.08.2024/12.20/1j

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से नगर पालिका राजाखेड़ा के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

2. श्री शंकरसिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर जिले की तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत सेन्दड़ा के राजस्व ग्राम कोटड़ी स्थित गौशाला की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में।

3. श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के मचकुंड धाम के सौन्दर्यकरण हेतु किये जा रहे कार्य में संवेदक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

4. श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहौर में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति के संबंध में।

5. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से नगर परिषद चौमूं में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में।

6. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावाद की जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लिमिटेड की शेष भूमि काबिज काश्तकारों को आवंटित किये जाने के

संबंध में।

7. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में ट्यूबवेल एवं हैण्डपंपों के खराब होने से आमजन को हो रही पेयजल समस्या के संबंध में।

8. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल-जीवन मिशन योजना से वंचित गांवों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

9. श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के दांतराई स्थित नवनिर्मित जी. एस. एस. का संचालन प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

10. श्री हंसराज पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली के जिला चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

11. श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर वाटी की तहसील गुढागोडजी में उप खण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

12. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से विधि महाविद्यालय डूंगरपुर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सबंध में।

13. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश के पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाएं एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

14. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के धानोठी छोटी तिराहे से हनुमानगढ़ वाया रेजड़ी-गालड सडक मार्ग का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

15. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से नवसृजित नगर पालिका भीम के बस स्टेण्ड से अतिक्रमण हटाने एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

16. श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 87 दिनांक 25.02.2021 में कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

17. श्री अरूण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओरण, गोचर एवं वन भूमि पर बरसों से बसे परिवारों का पुनर्वास किये जाने के संबंध में।

18. श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में खनन हेतु पट्टे जारी किये जाने के संबंध में।

19. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे नंबर 45 पर छौंकरवाड़ा-भुसावर के मध्य अतरामपुरा पर स्थित अवैध टोल यूथ को हटाये जाने के संबंध में।

20. श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा अनावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 06/08/2024 को शून्य काल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें

से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं-

क्र.सं	पर्ची सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	9	श्री विक्रम सिंह जाखल	नवलगढ नगरपालिका में गत सरकार द्वारा किये गये सीवरेज कार्य में अनियमितता के सबंध में।
2.	15	श्री आदू राम मेघवाल	चौहटन विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं को नियमित रूप से प्रारंभ किए आने के संबंध में।
3.	31	श्री अमृतलाल मीणा	उदयपुर, बांसवाड़ा रतलाम को नेशनल हाईवे घोषित कराने बाबत।
4.	23	श्री ताराचन्द	बीदासर श्री डूंगरगढ़-कालू (SHW-93) कुल 82.00 किमी लंबी सड़क की जांच संबंधित अधिकारियों से करवाने के संबंध में।

आज भोजन अवकाश नहीं होगा, उसे स्थगित किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री विद्याधर सिंह।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री जुबेर खान।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

कुमारी रीटा चौधरी।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ी नहीं हुईं।)

295 पर, श्री रोहित बोहरा।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

श्री शंकर सिंह रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटड़ी राजस्व ग्राम (रायपुर) स्थित गोशाला की जमीन पर अतिक्रमण

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि ब्यावर जिले की तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत सेन्दड़ा के राजस्व ग्राम कोटड़ी के खसरा नम्बर 273 किस्म गैर मुमकिन दाती जो कि वर्तमान में खाली पड़ी है। उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा गौशाला खोलने की मांग की जा रही थी। इस बाबत उक्त खसरा नम्बर पर गौशाला खोलने हेतु ग्राम पंचायत सेन्दड़ा, तहसील रायपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। गौशाला के नाम भूमि आवंटित करने हेतु तत्कालीन जिला कलेक्टर पाली को पूरी पत्रावली ग्राम पंचायत सेन्दड़ा द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी। लेकिन ब्यावर के नया जिला बनने के बाद वो पूरी पत्रावली जिला कलेक्टर कार्यालय ब्यावर आ चुकी है। लेकिन इस

पत्रावली पर काफी समय से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस पत्रावली पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से इस भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन को बार बार शिकायत भी दी जा रही है, लेकिन प्रशासन की भू-माफियाओं से मिलीभगत के कारण किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ब्यावर के जिला बनने के बाद यहां की भूमि की कीमत बढ़ गई है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत सेन्दड़ा, तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम कोटड़ी के खसरा नम्बर 273 किस्म गैर मुमकिन दांती को गौशाला हेतु आवंटित करने अथवा सम्पूर्ण भूमि को चरागाह भूमि में परिवर्तित करने के आज ही आदेश जारी करावे, ताकि भूमि को भू-माफियाओं से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्षः श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ी नहीं हुईं।)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहौर में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि आहोर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएं हैं, जिनका निस्तारण किया जाना अति आवश्यक हैः-

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सियाणा जो केसरबाई विद्यालय में संचालित है गांव का मुख्य विद्यालय है, जहां पर हिन्दी माध्यम था उसका अंग्रेजी माध्यम कर दिया है। उसको बदल कर पूर्व में संचालित हिन्दी माध्यम को यथास्थिति रखकर अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय को केसरबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय सियाणा में किया जाये।

(2) बागरा गांव 15 हजार की आबादी वाला कस्बा है। इस कस्बे में पूर्व में बालिका विद्यालय संचालित था, लेकिन बालिका विद्यालय मर्ज करके बालिका विद्यालय बंद कर दिया, इसलिए बागरा में बालिका विद्यालय को डीमर्ज करके पुनः बालिका विद्यालय खोला जाये। इस बड़े कस्बे की एक मात्र बालिका विद्यालय था। इसलिए इस कस्बे में पुनः बालिका विद्यालय का डीमर्ज करना न्यायसंगत है तथा आहौर विधान सभा क्षेत्र में बड़े कस्बे भवरानी एवं नोसरा में बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

(3) आहौर विधान सभा क्षेत्र में कई बड़े-बडे कस्बों में विज्ञान संकाय को आवश्यकता है- गुढा- बालोतान, चांदराई भाद्राजुन, हरजी में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता है।

(4) आहौर विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालयों में बोर्ड के सेन्टर नहीं हैं, इस कारण से बच्चों को परीक्षा के समय मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए शेष रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड सेन्टर खोले जाएं तथा काम्बा उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड सेन्टर खोलने की मांग उठती रहती है, इसलिए इसकी मंजूरी प्रदान करावें।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा विभाग के उक्त सभी कार्य

करवाने हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी का विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर शिखा मील बराला।

(माननीय सदस्या बोलने के लिये खड़ी नहीं हुईं।)

श्री थावर चन्द।

Msk/rtm/06.08.24/1230/ 1k

जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लि. (धरियावद) की शेष भूमि का काबिज काश्तकारों को आवंटन

श्री थावर चन्द (धरियावद): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लि०, धरियावद की कुल शेष 1625 बीघा भूमि काबिज कृषकों को आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लि०, धरियावद दिनांक 14.06.1977 से अवसायन में चल रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इस समिति को कृषि कार्य हेतु 4605 बीघा 11 बिस्वा भूमि की आवंटित की गई थी। समिति अवसायन में आने के पश्चात् समय-समय पर अवसायकों की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी के माध्यम से सदस्य/असदस्य को आवंटित की जाती रही है। किन्तु वर्तमान में भी समिति के नाम 1625 बीघा भूमि चल रही है। जिस पर सन् 1956 से काबिज काश्तकारों द्वारा कब्जा कर रखा है। दिनांक 11.02.1978 को जिला कलेक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में कैम्प लगाकर काबिज काश्तकारों को 3051 बीघा भूमि आवंटित की गई व शेष 1625 बीघा भूमि पर काबिज काश्तकारों को किसी कारणवश नहीं किया जा सका। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लि० धरियावद की कुल शेष 1625 बीघा भूमि काबिज कृषकों को आवंटित की जाकर राहत प्रदान करावें, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि पर जो काश्तकार काबिज हैं, वे पूरी तरह से इसी जमीन पर निर्भर हैं, जीवनयापन के लिये यही उनका एकमात्र सहारा है।

श्री अध्यक्ष: मनोज कुमार।

धानोठी छोटी तिराहे (सादुलपुर) से वाया रेजड़ी-गालड़ होते हुए हनुमानगढ़ की सड़क का नवीनीकरण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के धानोठी छोटी तिराहे से वाया रेजड़ी-गालड होते हुए हनुमानगढ़ जिले को जोड़ने वाले वर्षों से जर्जर हालत में पड़े हुए रोड के पुनः निर्माण के संबंध में निवेदन है कि मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान गत 10 वर्ष से जीर्ण-शीर्ण बदहाल अवस्था में पड़े हुए उक्त सड़क मार्ग की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार प्रकरण को तुरंत संज्ञान

में लेकर करीब 10 किलोमीटर लम्बाई के उक्त महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का पुनः निर्माण अथवा जीर्णोद्धार करवाये। महोदय, मेरे सादुलपुर क्षेत्र के गांव धानोठी छोटी तिराहे से वाया गांव रेजड़ी व गालड होते हुए हनुमानगढ़ जिले को जोड़ने वाला यह अति महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जो तहसील मुख्यालय से सबसे दूरस्थ होने के कारण गत 10 वर्ष से बदहाल अवस्था में है। क्षेत्र के लोगों के लिए नजदीकी हिसार जाने का भी यही महत्वपूर्ण मार्ग होता था, लेकिन उक्त सड़क मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब पैदल यात्री भी इस पर नहीं चल सकता है। उक्त सड़क अब गड्ढों में समा गई है। प्रशासन व सरकार ने गत दस वर्ष में इसकी स्थिति सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्रवासी लगातार मुझे इस सड़क के पुनरुद्धार हेतु अवगत करवा रहे हैं। मानसून के इस दौर में रोड की स्थिति अति दयनीय हो चुकी है। लोगों का नजदीकी भादरा, बालसमंद व हिसार से उक्त सड़क मार्ग से आवागमन टूट चुका है।

अतः विशेष उल्लेख की मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करवाकर उक्त सड़क मार्ग का पुनरुद्धार करवाने का कष्ट करे।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)। (अनुपस्थित)

श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शान्त हो जाओ, रोला मत करो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलो, माननीय सदस्य, आप 295 बोलें।

शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना में वंचित गांवों का सम्मिलन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों में शेष रहे राजस्व गांवों एवं ढाणियों को जोड़ने के लिए सर्वे कर डीपीआर बनाकर जल जीवन मिशन की सतही जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल संकट को देखते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आर.डी. 159.5 खुडियाला-जियाबेरी-आगोलाई एवं आर.डी. 134 नाथड़ाऊ-देवानिया वृहत प्रदाय जल योजना स्वीकृत की गई थी, आर.डी. 159.5 में 77 राजस्व गांवों को लाभान्वित किया गया था। वर्तमान में आर.डी. 159.5 योजना से 127 राजस्व गांव जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट के अलावा स्कीम OTMP में भी छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर इस योजना से जोड़ दी गई है। इसी प्रकार आर.डी. 134 जिसमें 284 राजस्व गांवों को लाभान्वित किया गया था। इन दोनों योजनाओं में 2001 की जनगणना को आधार मानकर 2030 तक की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पेयजल क्षमता की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में आर.डी. 134 से 332 राजस्व गांव जोड़े जा चुके हैं तथा जल जीवन मिशन में 280 गांवों हेतु वृहत परियोजना व 52 गांवों हेतु OTMP में भी छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर पूर्व में स्वीकृत उपरोक्त योजनाओं से ही जोड़ा जा रहा है। जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिनमें नवीन फिल्टर प्लांट,

डिग्गी, मुख्य पम्पिंग स्टेशन, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पम्पिंग स्टेशन, राजस्व गांव मुख्यालय पर सीडब्ल्यूआर बूस्टर व नवीन मुख्य राइजिंग पाइप लाइन से पम्पिंग स्टेशन को जोड़कर, पंचायत मुख्यालय पर पम्पिंग स्टेशन को नवीन पाइप लाइन एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय के पम्पिंग स्टेशन से राजस्व गांव मुख्यालय पर बनने वाले सीडब्ल्यूआर बूस्टर को नवीन पाइप लाइन से जोड़कर, राजस्व गांव के सीडब्ल्यूआर बूस्टर से स्टार पैटर्न पर नवीन पाइपलाइनों द्वारा ढाणियों को जोड़कर पेयजल से लाभान्वित किया जाए। इन दोनों योजनाओं में OTMP योजना में नहरी सतही जल लाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त संचालित दोनों योजनाओं की क्षमता 2030 को समाप्त हो जायेगी व अभी भी उक्त योजना में पेयजल सप्लाई का अभाव है। वर्तमान में ये दोनों योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आगामी 30 वर्षों तक जनता को पेयजल से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा। फिल्टर प्लांट भी पुराने हो चुके हैं तथा इनकी क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में जनगणना 2011 के आंकड़े हैं एवं जनसंख्या के बढ़ने तथा नवीन घोषित राजस्व गांवों व ढ़ाणियां जल कनेक्शनों से वंचित रहने के कारण उक्त योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। मेरे क्षेत्र की जनता फ्लोराइड एवं नाइट्रेट युक्त नलकूपों का पानी पीने को मजबूर है। अतः आर.डी. 159.5 एवं आर.डी. 134 वृहत जल प्रदाय योजना के क्षेत्रों में जल जीवन मिशन में पेयजल से वंचित राजस्व गांव व ढाणियों को जोड़ने के लिए संशोधित योजना की सर्वे कर DPR तैयार कर डीपीआर अनुसार जल जीवन मिशन में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर शेरगढ़ वासियों को पेयजल संकट से निजात दिलायें।

श्री अध्यक्षः श्री मोतीराम। (अनुपस्थित)

श्री हंसराज पटेल।

कोटपूतली जिला अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री हंसराज पटेल (कोटपूतली): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत कोटपूतली जिला अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में जिला अस्पताल होने के बावजूद आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं का काफी अभाव है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में काफी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है तथा इसके आसपास कई विधान सभा क्षेत्र भी लगते हैं तथा यहां से कई प्रमुख मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि कोटपूतली की जनभावनाओं को देखते हुए इस अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर चालू करने, सीटी स्कैन और MRI की मशीन लगा कर पर्याप्त स्टाफ लगवाने का कार्य प्राथमिकता से करावें।

श्री अध्यक्षः श्री भगवानराम सैनी। (अनुपस्थित)

श्री गणेश घोगरा। (अनुपस्थित)

श्री पूसराम गोदारा। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत।

भीम नगर पालिका बस स्टैण्ड की अतिक्रमण से मुक्ति व आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत नव सृजित नगरपालिका भीम के बस स्टैण्ड पर हुए अतिक्रमण को हटाकर आधुनिक सुविधाएं एवं आधुनिक सुलभ कॉम्पलेक्स/शौचालय का निर्माण करवाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के बस स्टैण्ड पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है तथा उक्त क्षेत्र वर्तमान में नव सृजित नगर पालिका भीम की परिधि क्षेत्र में आता है। उक्त बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा सम्पूर्ण बस स्टैण्ड को संकरा कर दिया गया है। उक्त बस स्टैण्ड में विभाग द्वारा बस स्टैण्ड के शैड बनाकर एवं व्यवस्थित ढंग से पुनः निर्माण करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त क्षेत्र काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जिस कारण से वहां आस-पास काफी गंदगी विद्यमान रहती है। उक्त क्षेत्र में आधुनिक सुलभ कॉम्पलेक्स/शौचालय का निर्माण कार्य करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे वहां आस-पास गंदगी नहीं फैलेगी तथा लोगों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा।

अतः, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का इस ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहता हूं कि जनहित में नवसृजित नगर पालिका भीम के बस स्टैण्ड पर हुए अतिक्रमण को हटाकर आधुनिक सुविधाएं विस्तारित की जायें एवं आधुनिक सुलभ कॉम्पलेक्स/शौचालय का निर्माण करवाये जाने का श्रम करें।

mdp/rtm/06.08.2024/12:40/1l

श्री अध्यक्षः श्रीमती इन्द्रा। (अनुपस्थित)

श्री अरूण चौधरी।

ओरण, गोचर एवं वन भूमि पर बसे परिवारों का पुनर्वास

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश की ओरण, गोचर एवं वन क्षेत्र के अन्तर्गत बरसों से बसे नागरिकों के भवन, मकान अथवा ढाणियों को अतिक्रमण के नाम से जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस 295 के तहत आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक विशेष अभियान चलाकर राजस्थान सरकार ऐसे ओरण, गोचर एवं वन क्षेत्र की भूमि पर जो बरसों से बसे हुए हैं, उनका सर्वे कराये एवं सर्वे के उपरान्त उन ओरण, गोचर वं वन भूमि

पर जो बसे हुए लोगों की इस महंगाई के जमाने में बने मकानों एवं ढाणियों को वहां से हटाने की बजाय उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि के बराबर अन्य स्थान पर भूमि का स्वरूप ओरण, गोचर एवं वन क्षेत्र में बदलने का अवसर दिलाये जाने का नियम बनाने का कष्ट करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीब को गणेश मानकर जो कार्य कर रही है, इससे इस तरह के गरीब एवं वास्तविक लोगों को न्याय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में खनन हेतु पट्टों की प्रदायगी

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ में प्रचुर मात्रा में सैंड स्टोन की उपलब्धता है। इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में अन्य स्टोन जैसे चाईना क्ले, सॉफ्ट स्टोन और लाईम स्टोन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन सभी स्टोनों की विदेशों में हजारों टन की भारी मांग भी है, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिये अनुकूल है। परंतु वर्तमान खनिज नीति के चलते विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ को उक्त स्टोनों की उपलब्धता एवं मांग का जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही इस विधान सभा क्षेत्र के संचित क्षेत्र में खनन पट्टे जारी नहीं करने से यहां के आर्थिक विकास की गति भी रूकी हुई है और युवा वर्ग में बेराजगारी की संख्या से युवा वर्ग में हताशा एवं निराशा का भाव भी निरन्तर बढ रहा है जो कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में नई बजरी लीज जारी नहीं करने से बजरी माफिया पनप रहा है जिससे आम नागरिकों को गृह निर्माण के दौरान बजरी के दो से तीन गुणा दाम चुकाने के बाद भी उचित समय पर बजरी नहीं मिल रही है और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना करना पड रहा है। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि लोकहित को देखते हुये विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ में वर्तमान खनिज नीति में उचित बदलाव करने के साथ ही संचित क्षेत्र में खनन पट्टे जारी करने एवं बनास नदी में नई बजरी लीज जारी करवाई जावे। आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री श्री बहादुर सिंह।

अतरामपुरा (वैर) में स्थित अवैध टोल बूथ को हटाया जाना

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 45 पर छौंकरवाड़ा से भुसावर के मध्य अवैध टोल बूथ जो अतरामपुरा पर स्थित है, को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। वैर विधान सभा में 20 किमी के अन्दर स्टेट हाईवे 45 पर तीन टोल बूथों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 3 किलोमीटर का क्षेत्र नेशनल

हाईवे-21 का भी आता है। इतनी कम दूरी पर तीन टोल लगाना नियम विरुद्ध है। पूरे क्षेत्र में तीन टोल बूथ होने से आक्रोश का माहौल है। इन टोल बूथों पर प्रतिदिन सैकड़ों मालवाहक वाहन भी निकलते हैं, जिससे यहां जाम की स्थिति रहती है। विधान सभा क्षेत्र के लोगों को अपने व्यापार तथा अन्य कई कार्यों से प्रतिदिन टोल टैक्स देकर जाना पड़ता है, स्थानीय निवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय व धन की हानि भी बहुत होती है। लेकिन प्रशासन का ध्यान इन अवैध टोल बूथों को हटाने की तरफ नहीं जाता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि छौंकरवाड़ा से भुसावर के मध्य स्थित अतरामपुरा के अवैध टोल बूथ को हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम बैरवा।

बारां-अटरू में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं अनावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 295 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानो की फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किसानों का एक मात्र आय का स्त्रोत कृषि कार्य होता है और हम किसानों को अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हैं, परंतु सदन को यह जानकारी देते हुए काफी निराशा हो रही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत आने वाले किसानों को विगत् कई वर्षों से अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की काफी मात्रा में फसलें खराब हुई थी। जिसका कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अनेक बार सर्वे कर रिर्पोट सरकार के पास भेजी जा चुकी है, जिसमें बारां-अटरू के आस-पास वाले क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है। परंतु बारां अटरू विधान सभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक मुआवजा राशि नही मिलने से किसान आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र प्रदान कर किसानों का राहत प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री विक्रम सिंह जाखल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नवलगढ़ के सीवरेज कार्यों में अनियमितताएं

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज पर्ची के माध्यम से नवलगढ़ विधान सभा की नगर पालिका की और नगर पालिका कार्यो में सीवरेज को लेकर किये गये काम पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में बोलिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गत सरकार द्वारा किये गये सीवरेज कार्यों की ओर दिलाना चाहूंगा। सन 2015-16 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत ने नवलगढ़ को 102 करोड़ रुपये का बजट सीवरेज के लिए दिया। राजपाल सिंह जी ने ही उसक उद्घाटन किया। जब 2018 में सरकार कांग्रेस की आयी, तब जाकर टेंडर मैसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी, अहमदाबाद के नाम हुआ। 21/03/16 से दिसम्बर, 2018 तक उक्त कार्य मैसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी, अहमदाबाद द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जनवरी, 2018 में कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा राज के जोर पर उस कार्य को अपने ठेकेदारों के नाम से सबलेट करवा लिया। तत्कालीन ठेकेदार के पास तकनीकी स्टॉफ नहीं होने के कारण उक्त कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। सीवरेज का कार्य 2023 में चुनाव आचार संहिता से पहले आनन-फानन में किया गया, जिसमें कहीं पर तो चैम्बर नीचे और कहीं पर चैम्बर रोड से ऊपर तथा सीवरेज चैम्बर ऊपर से टूटे हुए हैं, जिससे शहर में आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं।

Ans/rtm 12.50 1m 06.08.2024

भूमिगत पाइप लाइन, अलाइनमेंट सही नहीं होने के कारण जगह-जगह चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। जगह-जगह पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे चैम्बर का गंदा पानी पेयजल पाइप लाइन में आने की शिकायतें मिल रही है। पूरे नवलगढ़ शहर की रोड उखड़ रही है, जिससे लोगों का पैदल चलना सम्भव नहीं है। क्योंकि उक्त फ़र्म द्वारा रेस्टोरेशन के नाम पर लीपापोती की गई।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

अध्यक्ष महोदय, उक्त कार्य के लिए अधिशासी अधिकारी, नवलगढ़ द्वारा मैसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद को बार-बार नोटिस देने के बाद भी सही कार्य नहीं किया। वर्तमान में उक्त फ़र्म को 76 करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 3 करोड़ 75 लाख रुपये का भुगतान शेष है। वर्तमान में मेंटिनेंस कार्य भी उक्त फर्म मैसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कम्पनी अहमदाबाद के नाम टेंडर किया गया है। इसके लिए अलग से 9 करोड़ रुपये की राशि।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, हो गया।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आधा मिनट।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): उक्त फ़र्म द्वारा दो वर्ष में 60 लाख रुपये का कार्य करवाया गया है। कार्य धरातल पर नहीं किया गया है। श्रीमान, उक्त कम्पनी द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मेरी मांग है कि नलवगढ़ नगरपालिका के जितने भी कार्य हुए हैं, इनकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से करवाई जाए, ताकि नवलगढ़ की जनता को न्याय मिले।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री आदूराम मेघवाल।

चौहटन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा का नियमित संचालन

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर चर्चा के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत व पाक सीमा के ऊपर, चौहटन विधान सभा सीमा की पहली विधान सभा है, इसके अन्दर हमारी धार्मिक नगरी चौहटन और चौहटन के अन्दर, चौहटन विधान सभा क्षेत्र के राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस सेवाओं को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौहटन एक धार्मिक नगरी है, जहां विरात्रा माता का मन्दिर है, जहां वैर माता का मन्दिर है, पाण्ड़वों की तपो भूमि है। जहां मोहनपुरी जी, महादेव जी का मन्दिर है, मठ है। हमारे जसनाथ जी धाम का मठ है, सच्चियाय माता का मन्दिर है। खोडीयार माता का मन्दिर है। हमारे चौहटन विधान सभा के अन्दर हरपालेश्वर, जहां सीमा के ऊपर इन धार्मिक स्थानों के ऊपर आवागमन के लिए कम साधन है। हर सप्ताह सोमवार, मंगलवार को मेला लगता है। हमारी सीमा के ऊपर पाक विस्थापित रहते हैं, जिनकी रिश्तेदारी, जिनका आधा परिवार चौहटन की सीमा के ऊपर रहता है। आधा परिवार बीकानेर नहर के ऊपर, जहां भूमि मिली हुई है वहां उनका परिवार रहता है, उनको भी आने-जाने के लिए सुविधा नहीं है। बीकानेर से भारत माला रोड चलती है, उसके ऊपर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस लगाई जाए। हमारे बाड़मेर मुख्यालय को जोड़ने के लिए, उपखण्ड़ मुख्यालय को जोड़ने के लिए, आम किसान व मजदूर अपने आवागमन के लिए, बाड़मेर से चौहटन, चौहटन से चनानियों का तला, कापराऊ, बूट, बावड़ी, मिठडाऊ, सरुपे का तला, गंगुपुरा होते हुए जाटावैरा तट एक बस लगाई जाए। इसी तरह चौहटन से लेकर रानीगांव से पलोनियों का तला, जहां ब्रह्मपुरी जी का मठ है, वहां से लेकर चौहडियार, बामनौर, बामनौर से होते हुए जसवतका फुटा पुलिया, सोनड़ी धार्मिक स्थान है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्षः मैं अपील कर रहा हूं, अपनी सीटों पर जाइये। सदस्य को बाहर भेजो, नहीं तो मुझे और कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): आम आदमी के लिए, मंदिरों में आस्था रखने वाले भक्तों की सुविधा के लिए बसें लगाई जाए।

श्री अध्यक्षः विराजो। श्री अमृतलाल मीणा। दो की जगह, चार मिनट हो गए।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): धन्यवाद।

उदयपुर-रतलाम-बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 का नेशनल हाईवे में परिवर्तन

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। उदयपुर, रतलाम, बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 को राष्ट्रीय

मार्ग घोषित कराने का निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर, रतलाम, बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 दो राज्यों को परस्पर मिलाने वाला ऐसा मार्ग है, जिसमें मारवाड के स्वरूप गंज से लेकर मेवाड़ का उदयपुर बागर का बांसवाड़ा व मालवा के रतलाम को जोड़ने वाला है। बाड़मेर व मेवाड के अधिकतर लोग व्यवसाय हेतु मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र तक जाते हैं। स्टेट हाईवे 32 वर्तमान में परिवहन के साधनों व बढ़ती आबादी के कारण इतना छोटा पड़ गया है कि प्रतिदिन दुर्घटना के असहाय लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। इस मार्ग को पर्यटक एवं झीलों की नगरी के साथ, वेडिग सिटी उदयपुर, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी मीठे पानी की झील, हाडा रानी का नगर सलूम्बर, न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाडा, माही बांध बांसवाड़ा व नमकीन नगरी रतलाम को सीधा जोड़ने के लिए, फोर लेन से राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना आमजन के हित में होगा। स्टेट हाईवे 32 को फोर लेन बनाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों के शिष्ट मण्डल ने अपनी समस्या से केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्री माननीय नितिन गड़करी जी को अवगत कराया लेकिन एक ही उत्तर था कि आप पहले स्टेट हाईवे 32 को नेशनल हाईवे घोषित कराकर लाइये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, उक्त मार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करवायें।

श्री अध्यक्षः श्री ताराचन्द।

बीदासर श्री डूंगरगढ़-कालू (SHW-93) के कतिपय सड़क भाग की जांच

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बीदासर से श्री डूंगरगढ़ गुसाई से कालू होते हुए लूणकरणसर रोड़ जाती है, इसी साल बनकर तैयार हुई है। यह रोड एस.एच.डब्ल्यू-93 के तहत बनी हुई है। कुल 82 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इसकी जांच सम्बन्धित अधिकारियों से करवाने तथा जब तक उचित जांच व पूरी कार्यवाही नहीं हो, तब तक ठेकेदार को पेमेंट रूकवाने के सम्बन्ध में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, सड़क की कुल लम्बाई 82 किलोमीटर है, मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ से निकलती है। इसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के पीपी योजना में हुआ, इसी साल हुआ है। इसमें कांग्रेस के लोग मिलकर पूरी गिट्टी और डामर खा गए, रोड़ पर नहीं ड़ाली, जिसके निर्माण के तुरंत पश्चात ही सड़क लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। इससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सड़क निर्माण के तुरंत पश्चात इसकी मरम्मत का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है, क्योंकि नई सड़क होने के बावजूद भी जगह-जगह गड्ढे पड़ रहे हैं। गड्ढों को भरने का पेचवर्क का काम भी साथ-साथ चल रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री काम में ली गई है तथा सड़क निर्माण का कार्य भी निम्न स्तर का किया गया है। डामर मानक के अनुसार निम्न स्तर का डाला गया है। इस सड़क की सम्पूर्ण जांच

करवाकर, कार्य मापदंड अनुसार पूरा करवाने एवं ठेकेदार व फ़र्म के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाने तथा जब तक पूरी जांच नहीं हो, तब तक ठेकेदारों का पूरा पेमेंट रोकने एवं उच्च अधिकारियों से उचित जांच करवाने की कृपा करावें।

VPS-RTM-06.08.2024-13.00-1n

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

महोदय, इस सड़क के अन्दर जितना भ्रष्टाचार किया गया है, इन नेताओं ने ठेकेदारों के साथ मिलकर पिछली सरकार ने पूरी की पूरी सड़क जिसके अन्दर कोई भी भराव का काम नहीं किया गया है, उसमें पेचवर्क का काम भी नहीं किया गया है और सीधी डामर बिछाकर, 82 किलोमीटर की सड़क में करोड़ों रुपये का घोटाला पिछली सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। विराजिये।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

छबड़ा नगरपालिका में सरकारी जमीन पर मुस्लिम मुसाफिर खाने का अवैध निर्माण

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का नगरपालिका छबड़ा में अवैध तरीके से मुसाफिर खाने के निर्माण से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: आप कहना मान लो, उनको बाहर भेज दो। यदि झूलेलाल का कहना मान सकते हो तो उनको बाहर भेज दो। सदन के निर्णय की पालना करवाओ। सदन के निर्णय का पालन करवाने के बाद ही किसी बात पर विचार करूंगा। बाहर उनको भेज दो। माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि नगरपालिका छबड़ा में लगभग 9000 वर्ग फीट जमीन पर बिना आवंटन के अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया गया। उस निर्माण में एक होल, बरामदे के साथ-साथ दस दुकानों का भी निर्माण कर लिया गया और उन दुकानों को किराये पर उठा दिया गया। इसके अलावा नगरपालिका छबड़ा द्वारा बिना आवंटन, बिना स्वीकृति के विधायक कोष के दस लाख रुपये भी उसके निर्माण में लगा दिये गये। मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को यह आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं नगरपालिका छबड़ा को यह निर्देशित करता हूं कि जो दस दुकानें हैं, उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से सीज कर अपने कब्जे में ले और उसके बाद आगे जो

भी विधिक कार्यवाही हमको करनी होगी, हम उस कार्यवाही को करेंगे और उसके अलावा जो होल और बरामदा बना हुआ है, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर इस पूरे प्रकरण में जितनी अनियमितता हुई है, जिस-जिस ने यह अनियमितता की है, सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर दस दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद गुणावगुण के आधार पर हम उसको भी निर्णय लेकर उस होल का क्या करना है, उसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो यह अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मुस्लिम मुसाफिर खाना बनाया है, इसके बारे में आपने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे जो आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो मेरे पास जवाब आया है, उस जवाब में यह लिखा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने का मौका दिया जाये, पर आपने सारी प्रक्रिया दस दिन में ही पूरी करने की सदन में घोषणा की है, इसके लिए मैं तारीफ करता हूं और आपको यह निवेदन करता हूं कि दस दिन के अन्दर-अन्दर यह जो अतिक्रमण है, इसको आप निश्चित रूप से हटावा देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आपको बोलना है? हो गया?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कलक्टर को यह भी निर्देशित करता हूं कि वे माननीय विधायक से इस मामले में सम्पूर्ण जानकारी लेकर और एक सुस्पष्ट जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और नगरपालिका छबड़ा शीघ्र ही उन दस दुकानों को सीज करके अपने कब्जे में लेगी।

श्री अध्यक्षः अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रदेश के मरीजों को राजस्थान के बाहर इलाज की अनुपलब्धता

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के मरीजों का राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों के आयुष्मान चिकित्सालयों में इलाज सुलभ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, जिसका मैं जवाब देता हूं कि प्रधान मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, वह पांच लाख रुपये तक का हमारे मरीजों को पैसा देता है और जो मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हमारी है, उसमें 25 लाख रुपये तक का कवरेज है। अब इश्यू जो है, जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि हम लोग यहां

से, राजस्थान से हम बाहर अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं जा सकते हमारा इलाज करवाने? जैसा कि हरियाणा के अन्दर मेदांता और यह बड़े हॉस्पिटल्स आ जाते हैं तो क्यों नहीं यह कवरेज जो है, हमें हमारे पूरे इंडिया के अन्दर एक compatibility हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बेनेफिशरीज हैं, जो केन्द्र की योजना जिससे हमें 15 प्रतिशत पैसा मिलता है और 85 प्रतिशत पैसा राजस्थान गवर्नमेंट उसका खर्चा करती है। यह जो 1 लाख 33 हजार करोड़ फैमिलीज हैं, परिवार हैं, इनमें से 66.37 लाख फैमिलीज हमारे प्रधान मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आते हैं और 73 लाख फैमिलीज हैं, वे हमारे मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आते हैं। नेशनल हैल्थ अथोरिटी है, इनके पास 2500 पैकेजेज हैं ट्रीटमेंट के लिए और राजस्थान गवर्नमेंट के पास 1807 पैकेजेज हैं। यह जो compatibility आपस में नहीं है यह compatibility हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक ही प्लेटफार्म में इसको लांच किया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम अगले महीने सितम्बर तक हमारे लोग जो हैं, बाहर के स्टेट्स के लोग हैं, जो पहला चरण है, उसके अन्दर राजस्थान के कोई भी हॉस्पिटल्स में, यह हमारे जो कम्प्यूटर से जो सिस्टम है इसकी compatibility बैठाने के बाद में कोई भी राज्य जो इंडिया का है, वह यहां आकर राजस्थान में ट्रीटमेंट करवा पायेगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है। इसके बाद में अगले दो-तीन महीने में राजस्थान से भी हमारे जितने भी लोग हैं, वे भी ऑल इंडिया में जाकर अपना इस स्कीम का जो बेनिफिट है, ये लोग बाहर जाकर करवा सकते हैं। इसके अन्दर कुछ कदम हमें लेने हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को जो पैकेजेज नहीं हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमारे जो है inward portability, जिसमें बाहर से लोग यहां पर इलाज करवा पाएंगे, वह प्रथम चरण है। द्वितीय चरण के अन्दर हमारे लोग भी बाहर जा पाएंगे। इसके अन्दर थोड़ा सा पैकेजेज को रेशनलाइज करवाना पड़ेगा, केन्द्र के जो एन.एच.ए. के पैकेजेज हैं, हमारे समान होने चाहिए और अंत में फाइनेंस डिपार्टमेंट से थोड़ा एप्रूवल लेकर मुझे यह पूरी आशा है कि हमारे यह जो सॉफ्टवेयर की आपस में जो compatibility करनी है और पैकेजेज बराबर होने चाहिए, यह दो ही इश्यूज हैं।

जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगले महीने तक बाहर के पेशेंट्स राजस्थान में आ सकेंगे और तीन-चार महीने में हमारे पेशेंट्स भी जाकर यह इलाज ले सकेंगे। आज की तारीख में आर्गन ट्रांसप्लांट जो कि बहुत ही महंगा है, हमारे यहां राजस्थान के लोग इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। उनका एयर ट्रैवल, उनके साथ अटेंडेंट का भी एयर ट्रैवल और पूर्ण खर्चा राज्य सरकार करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है और इसकी पालना अगले तीन-चार महीने में inward compatibility, outward compatibility दोनों हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित जो चिरंजीवी योजना थी उसको केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़कर किया जा रहा है, लेकिन हमारा राजस्थान का जो मेवाड़ का क्षेत्र है, हमारे जो उदयपुर सम्भाग के लोग हैं, वे अधिकतर अहमदाबाद इलाज करवाने के लिए जाते हैं और इधर अगर आप देखें तो कोई हरियाणा इलाज करवाने जाता है और कोई मध्यप्रदेश इलाज करवाने जाता है। हम लोगों को यह कहते हैं कि यह आयुष्मान भारत जो योजना लागू हुई है, उससे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पेशेंट जाकर इलाज करवा सकता है लेकिन राज्य सरकार और उन सरकारों के बीच में हो सकता है कि एम.ओ.यू. नहीं हुआ हो, एम.ओ.यू. करना है या उनसे बातचीत करनी है या भारत सरकार से जो सुविधा मिलनी है, उसको करके आप इसको लागू करवाएंगे तो हजारों लोगों का इससे भला हो सकता है। आयुष्मान भारत की स्थिति क्लियर नहीं होने से लोग वहां पर इलाज करवाने तो जाते हैं पर जाने के बाद वहां पर जब उनका पैसा लगता है तो वे हमको फोन करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

Ssy/Rtm/06.08.24/13.10/1o

जाने के बाद, जब वहां पर उनका पैसा लगता है तो वह हमको फोन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें शीघ्र से शीघ्र आप ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान के बाहर, राजस्थान का कोई भी पेशेंट चाहे वह हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, उसका इलाज नि:शुल्क हो सके, इतना मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं। यह जो पैकेजेज हैं नेशनल हैल्थ अथॉरिटी के और हमारे, उनमें हमारे पैकेजेज कम हैं, उनको बढ़ाना है। रेट्स की कंपेबिलिटी करनी है। अगले महीने बाहर के लोग यहां आ सकेंगे इलाज के लिए। यह पहला चरण है और 3-4 महीने में आप चाहो उदयपुर से अहमदाबाद जाओ, चाहे यहां से आप हरियाणा में, गुड़गांव में मेदांता में जाओ, यह हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला, श्री रामकेश। श्री रामकेश। (अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री झाबर सिंह खर्रा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हैं:-

(1) अधिसूचना संख्याः प.11 (11) नविवि/अनूपगढ/2024 दिनांक 08.07.2024 जिसके द्वारा अनूपगढ (जिला अनूपगढ़) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2047 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है,

(2) अधिसूचना संख्याः प.11(7) नविवि/आबूरोड/2024 दिनांक 16.07.2024 जिसके द्वारा आबूरोड (जिला सिरोही) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2045 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है,

(3) अधिसूचना संख्याः प.11(29) नविवि/कपासन 2022 दिनांक 23.07.2024 जिसके द्वारा कपासन मास्टर प्लान-2043 का धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदन कर दिया गया है, एवं

(4) अधिसूचना संख्याः प.11(3)नविवि/महवा/2017 दिनांक 23.07.2024 जिसके द्वारा महवा मास्टर प्लान-2038 का धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदन कर दिया गया है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 व 2)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-17 के 75वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन; एवं

2- जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2017-2018 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25 का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार। श्री ओटाराम देवासी।

राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार किया जाये।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: विराजो। आज राज्य में आपदा प्रबंधन पर चर्चा है। पक्ष की ओर से सूची आ गई है। विपक्ष से कोई सूची नहीं आई है। चूंकि वह अपनी व्यवस्था में नहीं है इसलिए श्री संदीप शर्मा।

पहले उसको बाहर भेजो ...(व्यवधान)... आसन की इज्जत करो। पहले आसन का सम्मान करो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा को लेकर आज आपदा प्रबंधन पर विचार हेतु इस महत्वपूर्ण विषय पर विधायकों के विचारों को यहां आमंत्रित किया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां लगातार हम देखते आए हैं कि मुख्य रूप से सूखाग्रस्त होना, बहुत तेज बरसात होना, अग्निकांड होना, ओलावृष्टि होना, ऐसे बहुत सारे कारक जिनके चलते भारी विपदा और आपदा के बीच लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जन हानि होती है, माल हानि होती है। ऐसे विपत्ति काल के समय सरकार ने आपदा प्रबंधन सहायता ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री सभापति: आप वैल में नहीं आयें कम से कम ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): स्थापना कर रखी है। जिसके तहत जिला कलेक्टर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वैल में नहीं आयें ...(व्यवधान)... वैल में नहीं आयें। वैल में नहीं आयें ...(व्यवधान)... आग्रह है, वैल में नहीं आयें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): पूरा विभाग ...(व्यवधान)... के स्तर पर तय कर रखा है।

श्री सभापति: वैल में नहीं आयें ...(व्यवधान)... आप अपने सदस्यों को अन्दर लें ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, इस तरीके से स्थितियां बनती जा रही हैं ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: आपको जो कुछ भी कहना है, वैल के अन्दर आप बैठ रहे हैं

...(व्यवधान)... पहले सीटों पर बैठें उसके बाद में निर्णय लिया जायेगा ...(व्यवधान)... आप एक बार अन्दर जायें। वैल में नहीं आयें कम से कम।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हम देख रहे हैं अभी थोड़े समय पहले 45 डिग्री को पार करके हीट वेव 50 डिग्री के ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापतिः आप अन्दर बैठें ...(व्यवधान)... आपका हक है। आपका बोलने का हक है लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो बिना सोचे-समझे आधुनिकीकरण की दौड़ में अपने जंगलों का नाश करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं। वायनाड में एक बड़ा हादसा भी हमने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसके अन्दर भारी जन हानि इस भू-स्खलन में देखी है। लगभग 62 फीसदी जंगल साफ कर दिया गया था। जो पहाड़ थे, वह 6 किलोमीटर दूर तक सरक गये। यही कारण है कि वहां पर भारी आपदा के दृश्य को अभी देखा है। इसलिए आज मानव जाति को बहुत सचेत एवं सावधान होने की मानव जाति को आवश्यकता है।

राजस्थान में भी समय-समय पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनको मानव जनित आपदाएं हम कह सकते हैं। कई सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनसे इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सकता है।

श्री सभापतिः आप अपने स्थान पर जायें, फिर करते हैं ...(व्यवधान)... आप स्थान पर जायें, फिर बात करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सचेत रहें, वृक्षारोपण करते रहें ...(व्यवधान)... दुरुपयोग ना हो, शोषण, दोहन ना हो। लेकिन अंधाधुंध खनिज का दोहन, वृक्षों का कटाव यह ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर रहा है कि जहां पर आने वाले समय में हम भू जल में ही देखें, जो स्थिति राजस्थान की है, भू जल राजस्थान का तेजी के साथ गिरता जा रहा है, तेजी के साथ ब्लॉक्स डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। भू जल वैज्ञानिकों ने कहा है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर, जैसा बंगलौर में और अन्य कई शहरों में जैसी स्थिति बन गई है वैसी स्थिति अब आने वाले 2025 तक भू जल की राजस्थान के इन शहरों में भी होने वाली है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

यह सब स्थितियां आपदा जैसी ही स्थितियां होंगी, जहां हमें पानी के लिए हाहाकार करना पड़ेगा। इन सबके लिए हमें निश्चित रूप से सचेत होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आपदा विभाग ने अभी वर्तमान में आपदा घटित होने पर तुरंत कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग हेतु बहुत सक्रियता के साथ अपनी प्रणाली को तेज किया है। इसके विस्तार हेतु 112 टोल फ्री नंबरों पर आपदा से सम्बन्धित कॉल हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र भी स्थापित करने का विचार किया है।

राज्य के कई जिलों में जो आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी

लगभग 2130 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर 89 मीटर पोर्टेबल लाइटिंग, डिवाइस लगाये जाने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राशि 63.9 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं। राज्य में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 28 दिवसीय ऑग्जिलरी फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सारे कार्य बहुत आवश्यक हैं। यहां हम अपने आपको पहले से ही सचेत कर सकें, सावधान हो सकें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, कहीं पर भी आगजनी की घटनाएं, कहीं पर भी बाढ़ की घटनाएं। मैं कोटा शहर की बात करूं, कोटा शहर में पिछली सरकार ने नालों के अन्दर प्लॉट काट दिये। वह पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र से तेजी के साथ पानी कोटा शहर की ओर आता है और पानी का भराव पूरे कोटा क्षेत्र में हो जाता है। बाढ़ की स्थिति कोटा शहर में कई बार अनुभव की गई है। ऐसे में, जो नाले हैं उनके अन्दर प्लॉट काट देना न्याय संगत नहीं था। परंतु वहां प्लॉट काटे गये। आज यदि 2 दिन की भी तेज बरसात हो जाती है तो वहां नावें चलने लगती हैं। 4 दिन की बरसात हो जाती है तो एसडीआरएफ लगानी पड़ती है। ऐसी स्थितियां जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें ऐसे कृत्यों से सावधान रहना चाहिए।

Spp/Rtm/06.08.2024/13.20/1p

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज जिस तरीके से धार्मिक या अन्य आयोजन होते हैं, जिन पर भारी भीड़ एकत्र होने की संभावना होती है, वहां की सुरक्षा व्यवस्थाएं हमें पहले ही चाक-चौबन्द कर लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि जरा-सी भी भगदड़ कई सारी जानें ले-जा सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाथरस में हमने देखा कि कई निरीह और निर्दोष लोग अकाल के ग्रास में चले गये, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। यह बहुत आवश्यक है कि जिला प्रशासन भी सतर्क रहे और सम्बन्धित थाने भी ऐसे आयोजनों के प्रति सावचेत रहें। जब भी कोई ऐसे बड़े संख्या वाले कार्यक्रम आयोजित करने हों, तो उन कार्यक्रमों की पूरी परमिशन के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन कार्यक्रमों की सहमति मिलनी चाहिये, उनको परमिशन मिलनी चाहिये। परंतु होता यह है कि आनन-फानन में ऐसे कई आयोजन कर लिये जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि बड़े-बड़े भीषण हादसे हमें अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम सभी महसूस कर रहे हैं। बरसात आती है तो तेज बरसात के साथ पूरे क्षेत्र को अस्त-व्यस्त कर देती है। हीट वेव आती है तो ऐसी हीट वेव होती है जो 50 डिग्री टेम्प्रेचर को भी पार करके लोगों को तपा देती है और इन सारी चीजों के ही ये परिणाम निकले हैं कि आज कई स्थानों पर, हालांकि हमारे यहां समुद्र तट तो नहीं हैं, परंतु जहां समुद्र तट है वहां पर सुनामी जैसी

घटनाएं भी होती हैं। मेरा मानना है कि यह सब मानवजनित आपदाएं हैं और इनके लिये पूरी मानव जाति को, प्रशासन को, सरकारों को सभी को मिलकर इस ओर काम करना पड़ेगा। कोई इस प्रकार का हादसा घटित हो, उस हादसे के घटित होने से पहले ही हम उस हादसे के प्रति सचेत रहें और तुरंत कार्यवाही के लिये हमारे पास इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं हों, इतने संसाधन हों कि ऐसे हादसों पर हम तुरंत कोई न कोई अपनी तरफ से उनकी सुरक्षा का उपाय कर सकें। अन्यथा लोग-बाग़ जिस विपदा और आपदा में फंसते हैं, बिना संसाधनों के, बिना ट्रेण्ड लोगों के कई सारी जानें चली जाने का भय बना रहता है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय स्तर पर चाहे वह फायर ब्रिगेड हो, जे सी बी हो अथवा अन्य बचाव के संसाधन हों, चाहे वह बाढ़ से सम्बन्धित हों, आगजनी से सम्बन्धित हों, भूकम्प से सम्बन्धित हों, इन सारी चीजों का स्थानीय स्तर पर स्थानीय विभागों द्वारा उनका पूरी तरह से समावेश अपने विभाग में करना होगा और इसके लिये मैं वर्तमान में हमारे आपदा विभाग को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर बड़ी गंभीरता से कार्य करने का प्रयास किया है और राजस्थान के अन्दर पूरी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु लू, तापघात, बाढ़ प्रबन्धन योजना, अग्निकांड होना, इन सब पर हमें पूरी तेजी के साथ और तैयारी करने की आवश्यकता है और हमारे चिकित्सालयों में भी जब हीट वेव का हो, उस समय भी अलग से कोरोना के समय भी हमने देखा कि ऐसा हाहाकार मचा और अगर व्यवस्था होती तो हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन अगर बैड तक होती तो हमें ऑक्सीजन के लिये परेशान नहीं होना पड़ता। ऑक्सीजन के संयंत्र अगर चिकित्सालयों में होते, दवाइयों की प्रोपर व्यवस्था होती, बेड्स की प्रोपर व्यवस्था होती तो कई लोगों की हम जान बचा सकते थे और इन सारी चीजों को लेते हुए, क्योंकि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा किसी को कहकर नहीं आती, माननीय सभापति महोदय, अचानक एकदम से यह आपदा आती है और उस आपदा की हमारी तैयारी कितनी है, हमारे विभाग कितना चुस्त-दुरुस्त हैं, इस ओर हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा तभी जाकर हम ऐसी आपदा से पूरी तरीके से निपट पायेंगे।

ओलावृष्टि होती है तो पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान दिन-रात मेहनत करके अपनी फसल पकने का इंतजार करता है और अचानक बरसात आकर ओलावृष्टि होती है उसकी आंखों के सामने उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि आज उनकी भी प्रोपर हमें सार-संभाल करनी होगी। उनका बराबर सर्वे हो, उनकी क्षतिग्रस्त जितनी भी फसल है, हम उनको उनकी राशि दे सकें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार बाढ़ आ जाती है तो हमारा पशुधन बह जाता है और उस व्यक्ति का जिसका परिवार ही पशु से चल रहा हो तो उसके जीवन में संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो पशुधन बहा है, उसकी प्रोपर राशि उसको मिले, ऐसी

योजना बनायें। हालांकि हमारा आपदा विभाग इन सारे विषयों पर विचार करके कार्य कर रहा है।

मैं पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। इस आपदा प्रबन्धन को लेकर हमारी सावचेतगी, हमारी सतर्कता, साथ ही साथ हमारी मानव जाति का भी बहुत बड़ा सहयोग और जागरूकता हो, तो निश्चित रूप से हम कई बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। कई बड़ी आपदाओं से जान-माल और इस हानि को हम बचा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, कल आसन से एक व्यवस्था दी गयी। एक सदस्य को निष्कासित किया गया। उस आदेश की भले ही यह पालना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसन का इकबाल इतना बुलन्द है कि जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय आसन पर थे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी वैल में आने की, अब वह चले गये हैं, तब बाहर आये हैं। डरपोक कहीं के।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आपदा प्रबन्धन विषय पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, अविपत्ति और अत्यन्त गंभीर घटना या मानव जनित कारणों से दुर्घटनावश व लापरवाही से घटित होती है तथा जिसमें किसी बड़ी मात्रा से मानव जीवन की हानि होती है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्राकृतिक आपदा मुख्य रूप से बारिश से सम्बन्धित है। भारी वर्षा के समय उत्पन्न हुई आपदा से निपटने के लिये अपर्याप्त संसाधनों के कारण प्रशासन के साथ नगरपालिका, सिंचाई विभाग, पुलिस थानों एवं ग्राम पंचायतों में कोई तैयारी नहीं रहती और स्थिति प्यास लगने पर कुआ खोदने जैसी हो जाती है। जब तक संसाधन जुटाये जाते हैं तब तक प्रकृति अपना काम कर चुकी होती है। ऐसी स्थिति में कई बार जान-माल की हानि हो जाती है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में विगत दिनों में हो रही बारिश से उत्पन्न हुए हालात एवं संसाधनों की कमी से मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि सोजत शहर में नगरपालिका स्थित है, जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये संसाधनों की कमी तो है ही, इसके साथ ही तकनीकी दृष्टि से भी कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। नगरपालिका आवासीय इलाकों में गन्दे पानी की निकासी हेतु बनाये गये नालों एवं वहां उगी झाड़ियों से बारिश से पहले सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पाता है और कॉलोनियों में जमा होकर खतरा पैदा कर देता है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नोहर कॉलोनी में पानी भर जाने से जीवन प्रभावित हुआ है। अत: बारिश से पूर्व ऐसे नालों के आस-पास उगी झाड़ियों की सफाई किया

जाना सुनिश्चित हो।

Jyg/rtm/060824/13.30/1q

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

भारी बारिश के कारण बिजली गुल होने के कारण समाचार-संचार के साधन काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित नगर पालिका में वायरलेस सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए ताकि समय-समय पर स्थिति का अपडेट मिलता रहे।

माननीय सभापति महोदय, सोजत शहर के मध्य में नेशनल हाईवे 162 गुजरता है। इस सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं, बारिश से पूर्व कई बार एल एण्ड टी कम्पनी को अवगत कराए जाने के बाद भी नालों की सफाई नहीं करवाई गई, अब बारिश के समय इन्हीं नालों से पानी निकासी नहीं होने के कारण शहर में पानी जमा हो जाता है। इसी कारण जोधपुर स्टेट हाइवे 58 मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरता है। हाइवे स्थिति गांवों में बरसात का पानी निकलने के लिए नाले तो बना दिए लेकिन उनका मुंह गांव की तरफ कर देने से चौपड़ा गांव के कई मोहल्लों में पानी भर गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि एल एण्ड टी स्टेट हाईवे निर्माण कम्पनी को सख्त हिदायत देते हुए ऐसे नालों को आगे बढ़ाकर खुले खेतों तक ले जाने का निर्देश दें ताकि शहर और गांवों में बारिश का पानी जमा न हो सके। बाढ़ में भयंकर स्थिति से निपटने के लिए नगरपालिका और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मिट्टी के कट्टे, रेनपोट, गोताखोरों के उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित की जाए। कई स्थानों पर अभी दशकों पुराने गोताखोरों के नामों की सूची ही चल रही है, इसके लिए स्थानीय युवाओं को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण देकर नए गोताखोर तैयार करने चाहिए। गांवों में जहां सड़कों के बीच बने रपटों पर पानी बहने की स्थिति में बैरीकेड लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बासना गांव में रपट पार करते समय एक आदमी के बह जाने का समाचार है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था, प्रबंध किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की फसलें भी काफी चौपट हो गई है तो मैं चाहती हूं कि किसानों को फसल बीमा की राशि भी नहीं मिलती है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की बात करूं तो वहां के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, उनका उन्हें क्लेम दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, भारी बारिश के कारण गांवों में कच्चे मकान ढह जाने की काफी घटनाएं हुई हैं। इसलिए कच्चे घरों में रह रहे परिवारों की सूची बनाकर वहां के हालात सामान्य होने तक अन्यत्र स्थानों पर ठहराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बाढ़ आपदा के समय सिंचाई विभाग के पास भी पर्याप्त

संसाधन नहीं होने के कारण स्थिति खराब हो जाती है। रायपुर उप खण्ड में दीपावास में लूनी बांध है लेकिन सिंचाई कार्यालय जैतारण में बना हुआ है। सिंचाई विभाग के पास नौका तो है लेकिन चालक नहीं है और नौका भी काफी पुरानी है तो लाइफ जैकेट भी वही उपलब्ध है, तो इसके लिए लाइफ जैकेट व रस्सी एवं जीवन बचाने वाले अन्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उप खण्ड स्तर पर एसडीआरएफ टीम उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय पाली से बुलाया जाता है और इसमें समय अधिक लग जाने के कारण कई बार डूबने से लोगों की जान चली जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सोजत एवं रायपुर उप खण्ड पर एसडीआरएफ टीम उपलब्ध कराई जाए ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बारिश होना हम सब के लिए आवश्यक है लेकिन कुप्रबंध और अपर्याप्त संसाधनों के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बारिश से पूर्व बाढ़ बचाव एवं अन्य तैयारियों का जायजा ले लिया जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से पार पाने और मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सहजता और सूझबूझ से किए गए प्रयासों से किसी जीवन को बचाया जा सकता है। हमारा जीवन बहुत अनमोल है इसलिए मैं आपदा प्रबंध पर यह कहना चाहती हूं कि समुचित व्यवस्था हो। पुनः एक बार आप सबका बहुत-बहुत आभार। ..(व्यवधान)..

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

श्री सभापति: माननीय श्रीचन्दजी कृपलानी। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिकांश भाग रेगिस्तान और कम वर्षा वाला भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रधान मंत्री रहते समय आपदा के समय किसानों को फसलों का जो नुकसान हो जाता है, उन्होंने फसल बीमा योजना प्रारम्भ की, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी ने, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के राज में जब कोई भी नुकसान होता था, खराबा होता था उस समय 50 परसेंट से अगर कम है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाता था लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी को और मैं सदन को भी कहूंगा कि आप जोर से तालियां बजाओ मोदीजी के लिए जिन्होंने 33 परसेंट खराबे पर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की और किसानों को आज उसका फायदा मिल रहा है। ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि और पशु पालन है। यह सब प्रकृति पर निर्भर है। राजस्थान के हर निवासी को किसी न किसी वजह से अकाल से जूझना पड़ता है, आपदा से जूझना पड़ता है और ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, हालांकि हम यह मानते हैं कि आपदा आती है वो ईश्वर की दी हुई देन है लेकिन किसी भी राज्य सरकार की, चाहे भारत सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोग मिलकर उस आपदा से हर व्यक्ति को हम राहत पहुंचाए।

माननीय सभापति महोदय, रामायण का एक श्लोक मैं बोल रहा हूं,

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।
लोकाभिरामं श्रीरामं, भूयो भूयो नमाम्यहम्॥

अर्थात् आपदाओं और विपदाओं को हराने वाला ..(व्यवधान).. सुन लो, आपदाओं और विपदाओं को हराने वाले अगर कोई हैं तो जय श्रीराम हैं, श्रीराम भगवान हैं, जिसको आप नहीं जानते हो। ..(व्यवधान)..

माननीय सभापति महोदय, आज के चार साल, पांच साल पहले एक बहुत बड़ी आपदा से हमने मुकाबला किया है, वो हिन्दुस्तान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी, कोरोना। लेकिन हमने यह देखा कि कोरोना में सबने मिलकर जिस तरह से विशेष रूप से हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी ने जिस तरह से इस देश के लोगों को इतनी बड़ी आपदा से पार किया, जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन की व्यवस्था की, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया, अगर हिन्दुस्तान में नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री नहीं होते तो करोड़ों लोग यहां पर मर जाते, हिन्दुस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर 44 देशों में मोदीजी ने वैक्सीन भिजवा कर यह साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क है और विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। आज हमारी वैक्सीन से हजारों लोगों की जान बची, आपकी भी बची है।

माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है कि उस कोरोना की महामारी में हमारे इस सदन के सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी हों, गजेन्द्र सिंहजी हों, कैलाशजी त्रिवेदी हों, उनको खोया है और आज आपदा प्रबंधन पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस आपदा से अगर सबसे ज्यादा कोई दुःखी है तो राजस्थान का किसान है। राजस्थान की जनसंख्या को अगर हम देखें तो 75 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है जिनका मुख्य काम कृषि और पशु पालन है, इसलिए किसान को कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि इन आपदों से किसान को मुकाबला करना पड़ता है।

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपनी सीटों पर जाइए। वैल में मत आइए और जिसको निलम्बित किया है, उसको बाहर भेजिए, मुझे मजबूर होकर कोई अन्य कठोर कदम न उठाना पड़े, आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी सीटों

पर जाओ। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी सीटों पर जाइए। निलम्बित सदस्य को बाहर भेजिए। ..(व्यवधान)..

आप बोलिए।

MLS/RTM/06.08.2024/13:40/2a

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा और प्रबन्धन विभाग द्वारा जो किसान को राहत दी जाती है, वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होती है। किसान तड़प-तड़पकर मरने जैसी स्थिति में होता है। उसे कोई राहत नहीं मिलती है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि किसानों को जब भी ऐसी आपदा आये, चाहे अकाल पड़े, अतिवृष्टि हो या अन्य कोई महामारी हो तो राज्य सरकार की ऐसी कोई न कोई योजना होनी चाहिये ताकि किसान को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की पैदावार होती है। अध्यक्ष महोदय, जब भी अतिवृष्टि होती है या अकाल पड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जिले की अफीम की खेती को होता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार, जब वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब 2015 में ओलावृष्टि हुई और हमारी फसलों को नुकसान हुआ तो उन्होंने चार-चार माह के बिजली के बिल माफ किये। मुझे विश्वास है कि आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा कोई न कोई ऐसी योजना बनाएंगे, जब भी इस तरह की आपदा की स्थिति आयेगी, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, तब सरकार अपनी ओर से किसानों को पूरा सहयोग करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपदाओं को रोकने हेतु कुछ उपाय सरकार को निवेदन करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने पूर्व में जो घटनाएं देखी हैं, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने चाहिये। अस्पतालों में, चिकित्सा केन्द्रों में विशेष आपातकालीन योजनाएं विकसित करनी चाहिये। शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन संचार प्रणाली को विकसित करना चाहिये। बिजली, टेलीफोन, अन्य लाइनों की भूमिगत तैयारी होनी चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य उप-जिला स्थानीय पूर्वानुमान केन्द्र बनना चाहिये ताकि हमें अनुमान लग जाये कि कब अतिवृष्टि हो सकती है और कब नुकसान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है, जिसे एनडीआरएफ कहते हैं और राज्य सरकार का जो एसडीआरएफ है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिये। अगर दोनों में सामंजस्य होगा तो हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने में बहुत बड़ी व्यवस्था मिलेगी।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: 6 बजे तक करना है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र में कुशल तैराक होने चाहिये। जब नदी में हमारे लोग डूब जाते हैं तो उनको बचाने की व्यवस्था भी होनी

चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्त में यही निवेदन है कि अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ऐसी किसी भी स्थिति से इस राज्य को आपदा के समय में बचा सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री गोपाल शर्मा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबन्धन पर समय देने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

प्रश्न नहीं है कि इस दुनिया में कौन कितना बड़ा है,
प्रश्न नहीं है कि इस दुनिया में कौन कितना बड़ा है,
प्रश्न यह है कि किस जमीन पर कौन कैसे खड़ा है।।

भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रही है कि कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। विधान सभा में हमारे दिल मिले होने चाहिये और बाहर जाकर दल की बात करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अपनी सीट से जाकर बोलें। माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जाएं और वहां से बोलें। जो बोलना है, अपनी सीट से जाकर बोलें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): महोदय, 1981 में 19 जुलाई को बाढ़ आयी, पूरा जयपुर मौत के मुहाने पर खड़ा था। 100 लोग डूब गये थे। मान्यवर, किसी तरह से जयपुर बचा। उसके 43 साल बाद अभी जो बरसात आयी, वह उस समय आयी 326 मिलीमीटर की बरसात से कुछ ही कम थी, 290 मिलीमीटर। जयपुर दहशत के दौर में था। हमारी जितनी तैयारी होनी चाहिये थी, क्या हम उतने तैयार थे?

मान्यवर महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि प्रशासन को जितनी तैयारी रखनी चाहिये, प्रशासन उतनी तैयारी नहीं रख पा रहा है। कांग्रेस के जमाने के भ्रष्टाचार के कारण वह इतना हिल चुका है कि काम करने के मूड में नहीं आ रहा है। मान्यवर महोदय, जयपुर के कलक्टर साहब को मैंने दो महीने पहले पत्र लिखा था कि गर्मी को किसी तरह से निकाला है और जल भराव की इतनी समस्या आने वाली है कि हम सामना नहीं कर पाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इसको जब तक बाहर नहीं भेजोगे, तब तक नहीं सुनूंगा। सदन की मर्यादा का आज सुबह से चीरहरण हो रहा है। अब बहुत हो गया। अब कुछ नहीं। अब जो करना है, आप करो; जो इनको करना होगा, ये करेंगे। Nothing doing.

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया और किस तरह से लोगों ने रात काटी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बहुत हो गया। मेरे निर्णय का जितना उल्लंघन इस बार हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब मैं सहन नहीं करूंगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ये कच्ची बस्तियों के लोग, गरीब लोग...

श्री अध्यक्षः रात को भेज देते, सवेरे भेज देते, तब तो सुनता। अब नहीं सुनूंगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अवैध रूप से बसायी हुई बस्तियों के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं, बोलने दीजिये। कृपलानी जी, बैठिये। ...(व्यवधान)... गोपाल जी, बैठिये। ...(व्यवधान)... एक मिनट शान्त रहिये। अपने लोग शान्त रहें। भारत की विभाजन की ...(व्यवधान)... मुझे उम्मीद नहीं है कि वे चुप बैठ सकते हैं। ...(व्यवधान)... के अन्दर बम हमला हुआ, जब मुम्बई में बम हमला हुआ तो +++ मान्यवर, अखबारों में छपा है, अखबारों में छपा है। +++ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वैल से बाहर जाओ। माननीय उप-नेता, आपका कोई कहना ही नहीं मान रहा है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मान्यवर महोदय, देश के सामने, राजस्थान के सामने आपदा प्रबन्धन बड़ा विषय है और बड़ा विषय इसलिए है कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर गर्ग, जोगेश्वर गर्ग, यह होता रहेगा, आप तो बोलें। जोगेश्वर जी, आप बोलें जो बोलना है। शुरू करें।

mkd/rtm/06.08.2024/13:50/2b

सदस्य का निलम्बन

मुकेश भाकर, श्री, सदस्य का 6 माह के लिए निलम्बन

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कल से सदन में जो गतिरोध का माहौल बना है, उसके लिए विपक्ष की, प्रतिपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्यवाही के दौरान, एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया] आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन के तरफ से, जो निर्णय दिया गया कि वे सदन से बाहर चले जायें, वो नहीं गये।

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 292 (3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलम्बित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वे तुरन्त सदन की सीमाओं से बाहर चले जायें।

माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है।

यहां तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने दो प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है, एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने! शर्म आनी चाहिए थी उनको! ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन सबकी, इन सारी प्रकिया से, इनके व्यवहार से दु:खी होकर, आक्रोशित होकर, मैं प्रस्ताव करता हूं, श्री मुकेश भाकर, माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्षः मुकेश भाकर को 6 महीने के निलम्बित किया जाता है।
राष्ट्रगान, राष्ट्रगान।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.53 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)